



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

भारिबैं /2014-15/45

गैरबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.386/03.02.001/2014-15

1 जुलाई 2014

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
सभी विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ

महोदय,

**30 जून 2014 तक संशोधित अधिसूचना-"विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977"**

आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/डीजी(एच)-77 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2014 तक अद्यतन किए गए हैं, नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैंक की वेब साइट (<http://www.rbi.org.in>) पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

(के के वोहरा)

प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

गैर बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 2 री मंजिल, संटर 1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई-400 005  
फोन:22182526, फैक्स:22162768 ई-मेल:helpdnbs@rbi.org.in

Department of Non Banking Regulation, Central Office, 2<sup>nd</sup> Floor, Centre I, WTC, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005  
Tel No:22182526, Fax No:22162768 Email :helpdnbs@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

## विषय सूची

| पैरा सं | विवरण  |
|---------|--|
|         | <b>भाग - I - प्रारंभिक</b>   |
| 1.      | संक्षिप्त शीर्षक और निदेशों का प्रारंभ   |
| 2.      | निदेशों की व्यापकता  |
| 3.      | परिभाषाएं  |
| 4.      | कतिपय प्रकार की जमाराशियों पर निदेशों का नहीं लागू होना  |
|         | <b>भाग II - जमाराशि स्वीकारना</b>  |
| 5.      | विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकार करना ।  |
| 6.      | जमाराशि की मांग (सॉलीसिट) करनेवाले आवेदन पत्र में निर्दिष्ट किए जानेवाले विवरण                             |
| 7.      | जमाकर्ताओं को रसीद देना  |
| 8.      | जमाराशि का रजिस्टर   |
| 9.      | बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली सूचना   |
|         | <b>भाग III - विविध</b>   |
| 10.     | रिज़र्व बैंक को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लेखा और तुलनपत्र की प्रतियां प्रस्तुत करना                      |
| 11.     | रिज़र्व बैंक को विवरणी प्रस्तुत करना   |
| 12.     | पर्यवेक्षण विभाग को तुलन-पत्र, विवरणी, आदि प्रस्तुत किया जाना  |
| 13.     | विज्ञापन और विज्ञापन के बदले विवरण   |
| 14.     | छूट  |
| 15.     | कतिपय अन्य निदेशों का नहीं लागू होना   |
| 16.     | विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1973 के उल्लंघन के लिए की गई या की जानेवाली कार्रवाई का बचाव |
|         | परिशिष्ट   |

भारतीय रिज़र्व बैंक  
गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग  
केन्द्रीय कार्यालय  
सेंटर-1, विश्व व्यापार केंद्र  
कफ परेड, कोलाबा  
मुंबई-400 005

अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/डीजी(एच)-77

दिनांक 20 जून 1977

भारतीय रिज़र्व बैंक, जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभ के लिए ऋण प्रणाली को विनियमित करने हेतु बैंक को सक्षम बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा, 45के और 45एल द्वारा दी गई शक्तियों और संबंधित अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 23 अगस्त 1973 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी. 21/डीजी(एस)-73 में उल्लिखित पूर्व निदेशों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित निदेश देना आवश्यक है, हर विविध गैर-बैंकिंग कंपनी को एतदपश्चात निर्दिष्ट निदेश देता है।

**भाग - I - प्रारंभिक**

**1. संक्षिप्त शीर्षक और निदेशों का प्रारंभ**

ये निदेश विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 के नाम से जाने जाएंगे। ये निदेश 1 जुलाई 1977 से प्रभावी होंगे और इन निदेशों में इनके प्रभावी तारीख का कोई भी संदर्भ इसी तारीख का संदर्भ माना जाएगा।

**2. निदेशों की व्यापकता**

1 [ये निदेश हर उस वित्तीय संस्था पर लागू होंगे जो एक कंपनी है और जो जम्मू और कश्मीर राज्य के किसी स्थान में निम्नलिखित प्रकार के कारोबार करती है और हर उस वित्तीय संस्था पर भी लागू होंगे जो भारत के किसी स्थान में निम्नलिखित उप-पैराग्राफ (2) से (4) में उल्लिखित कारोबार के प्रकारों में से किसी प्रकार का कारोबार करती है -

-----  
<sup>1</sup> 9 मई 1979 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस 41/ईडी(टी)-79 द्वारा प्रतिस्थापित

(1) प्रोमोटर, फोरमैन, एजेंट या किसी अन्य हैसियत से एकमुश्त या किशतों के रूप में योगदान या अभिदान या यूनियों, प्रमाण पत्रों या अन्य लिखतों की बिक्री के रूप में या अन्य किसी तरह या सदस्यता शुल्क या प्रवेश शुल्क या बचत, पारस्परिक लाभ, थ्रिफ्ट या अन्य कोई योजना या अन्य किसी नाम की व्यवस्था से संबंधित या तत्संबंधी सेवा प्रभार की वसूली करना और इस प्रकार वसूली गई राशि का या उसके किसी अंश का या निवेश से अर्जित आय या किसी अन्य प्रयोजन(other use) के लिए निम्नलिखित सभी या किसी एक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना-

- (ए) आवधिक रूप से या अन्यथा प्रकार से लॉटरी द्वारा या किसी अन्य तरीके से अभिदानकर्ताओं की निर्दिष्ट संख्या को नकद या वस्तु के रूप में पुरस्कार या उपहार देना, चाहे पुरस्कार या उपहार प्राप्तकर्ताओं को ऐसी योजना या व्यवस्था में आगे और भुगतान करने का दायित्व हो या न हो;
- (बी) योजना या व्यवस्था की समाप्ति या उसमें उल्लिखित अवधि की समाप्ति या उसके बाद अभिदानकर्ताओं या उनमें से ऐसे व्यक्तियों को जो कोई पुरस्कार या उपहार नहीं जीत पाये हों, अभिदान राशि या वसूली गई अन्य राशि, बोनस, प्रीमियम, ब्याज या अन्य लाभ या उसके बिना, उसे जो भी नाम दिया जाए, उसकी पूरी या आंशिक राशि वापस करना;

(2) प्रोमोटर, फोरमैन या एजेंट के रूप में कंपनी द्वारा अभिदानकर्ताओं की किसी निर्दिष्ट संख्या के साथ किए गए ऐसे करार द्वारा किसी ऐसे कारोबार या व्यवस्था का प्रबंध, संचालन या निगरानी करना, जिसमें प्रत्येक अभिदानकर्ता एक निश्चित अवधि तक किस्तों में एक निश्चित राशि अभिदान करेगा और लॉटरी की पर्ची या नीलामी या निविदा या ऐसे किसी अन्य तरीके से निश्चित करने पर प्रत्येक अभिदानकर्ता बारी-बारी से करार में प्रावधानित पुरस्कार राशि का हकदार होगा।

### स्पष्टीकरण

इस उप-पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए 'पुरस्कार राशि' की अभिव्यक्ति का अभिप्राय वह राशि होगी, चाहे उसे जो भी नाम दिया जाए, जो सभी अभिदानकर्ताओं द्वारा प्रत्येक किस्त के अभिदान करने पर कुल राशि में से घटाने पर की जायेगी।

(ए) कंपनी द्वारा लिया जानेवाला कमीशन या प्रोमोटर या फोरमैन या एजेंट के रूप में लिया जानेवाला सेवा प्रभार; और

(बी) ऐसी कोई राशि जो अभिदानकर्ता प्रत्येक किस्त की कुल अभिदान राशि में से शेष उसे भुगतान किए जाने के प्रतिफल के रूप में छोड़ने के लिए सहमत होता है;

(3) चिट फंड का कोई अन्य रूप या कुरी चलाना जो उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (2) में उल्लिखित कारोबार के प्रकार से अलग है।

(4) ऐसा कोई कारोबार हाथ में लेना या चलाना या उसमें शामिल होना या उसे निष्पादित करना जो उप-पैराग्राफ (1) से (3) में उल्लिखित से मिलता-जुलता है।]

### 3. परिभाषाएं

(1) इन निदेशों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,

(ए) "बैंकिंग कंपनी" का तात्पर्य बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 5(ग) में यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनी है।

(बी) 'कंपनी' का अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 के 2) की धारा 45झ (क) में यथा परिभाषित कंपनी से है लेकिन इसमें वह कंपनी शामिल नहीं है जो फिलहाल प्रभावी किसी कानून के अंतर्गत समाप्त हो रही है;

(सी) 'जमाराशि' का अभिप्राय वही होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ (खख) में इसका अभिप्राय दिया हुआ है;

(डी) 'जमाकर्ता' का अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसने कंपनी के पास जमाराशि रखा है;

(ई) 'फोरमैन' का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो चिट या कुरी करार या अन्य योजना या व्यवस्था के अंतर्गत चिट या कुरी या ऐसी योजना या व्यवस्था के संचालन के लिए जिम्मेदार है;

(एफ) 'मुक्त आरक्षित निधि (free reserves)' में शेयर प्रीमियम खाते की शेष राशि, पूंजी और डिबेंचर शोधन आरक्षित निधियों और कंपनी के तुलन-पत्र में प्रकाशित या दर्शाये गये लाभों के आबंटन द्वारा निर्मित अन्य निधि शामिल होंगी लेकिन ये निधि (i) भविष्य की किसी देयता की चुकौती या परिसंपत्तियों में मूल्हास या अशोध्य ऋण के लिए निर्मित निधि या (ii) कंपनी की परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा निर्मित निधि नहीं होगी;

(जी) 'विविध गैर बैंकिंग कंपनी' का अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जो इन निदेशों के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित किसी प्रकार या सभी प्रकार के कारोबार करती है;

(एच) प्रयुक्त शब्दों या अभिव्यक्तियों के अर्थ जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परंतु भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 के 2) में परिभाषित हैं, वही होंगे जो उस अधिनियम में दिए गए हैं। अन्य किन्हीं शब्दों या अभिव्यक्तियों के अर्थ, जो यहां अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 के 2) में परिभाषित नहीं हैं, वही होंगे जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में उन्हें दिए गए हैं।

#### 4. कतिपय प्रकार की जमाराशियों पर निदेशों का नहीं लागू होना

विविध गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा प्राप्त निम्नलिखित प्रकार की जमाराशियों पर इन निदेशों के पैराग्राफ 5 से 2 [9बी] और 13 में उल्लिखित कुछ भी नहीं लागू होगा; यथा -

(i) पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (2) में उल्लिखित किसी लेनदेन या व्यवस्था के अंतर्गत वसूल की गई या प्राप्त की गई राशि;

(ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त कोई राशि या अन्य किसी स्रोत से प्राप्त कोई राशि जिसकी चुकौती की गारंटी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई है या स्थानीय प्राधिकरण या विदेशी सरकार या किसी विदेशी नागरिक, प्राधिकारी (ऑथोरिटी) या व्यक्ति से प्राप्त कोई राशि;

(iii) बैंकिंग कंपनी से या भारतीय स्टेट बैंक से या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 51 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित बैंकिंग संस्था से या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 2 में यथापरिभाषित तदानुरूपी नए बैंक से या <sup>3</sup>[बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 (सीसीआइ)] में यथापरिभाषित सहकारी बैंक से प्राप्त कोई राशि;

-----  
2 15 अप्रैल 1981 की अधिसूचना सं 44/ईडी (बी)-81 द्वारा प्रतिस्थापित

<sup>3</sup> 19 अप्रैल 1994 के अधिसूचना सं: डीएफसी(सीओसी)74 ईडी(एस)-94 द्वारा प्रतिस्थापित

(iv) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 (1964 का 18) के अंतर्गत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 (1913 का 7) के अंतर्गत स्थापित भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि. या औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) के अंतर्गत स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या भारतीय पुनर्निर्माण बैंक लि., या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अंतर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम या 4 [भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) के अंतर्गत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या] राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अंतर्गत स्थापित राज्य वित्त निगम, या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट, या भारतीय सामान्य बीमा निगम और इसकी अनुषंगी संस्थाएं या तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि. या भारतीय राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, या 5[एससीआइसीआइ लि.], या भारतीय उद्योग पुनर्वास निगम लि., या विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत गठित किसी विद्युत बोर्ड, या राज्य व्यापार निगम लि., या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि., या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि., या कृषि वित्त निगम लि., या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक और निवेश निगम लि., या गुजरात औद्योगिक और निवेश निगम लि. या 6[एशियन डेवलपमेंट बैंक, या अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, या] केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व की कोई वित्तीय संस्था या इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जानेवाली कोई अन्य वित्तीय संस्था से प्राप्त कोई ऋण;

(v) हटा दिया गया<sup>7</sup>

(vi) हटा दिया गया<sup>7</sup>

8 [(vii) कंपनी के किसी कर्मचारी से उसके उचित कर्तव्य निर्वहन के लिए जमानत राशि के रूप में प्राप्त कोई राशि शर्त यह है कि ऐसी जमानत जमाराशि की राशि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी और कंपनी के संयुक्त नाम में निम्नलिखित शर्तों पर रखी जाए-

(ए) कर्मचारी की लिखित अनुमति के बिना यह राशि निकाली नहीं जाएगी; और

(बी) यह राशि बैंक/ पोस्ट ऑफिस द्वारा जमाराशि खाता पर प्रदत्त ब्याज सहित कर्मचारी को उसके रोजगार की शर्तों के अनुसार वापस की जाएगी;]

<sup>4</sup> 17 जून 1992 के अधिसूचना सं: डीएफसी(सीओसी)65 डीजी(टी)/91-92 द्वारा जोड़ा गया

<sup>5</sup> 12 मई 1993 के अधिसूचना सं: डीएफसी(सीओसी)71ईडी(एस)/93 द्वारा प्रतिस्थापित

<sup>6</sup> 24 जुलाई 1996 के अधिसूचना सं: डीएफसी(सीओसी)87 ईडी(जेआरपी)/96 द्वारा जोड़ा गया

<sup>7</sup> 10 अप्रैल 1993 के अधिसूचना सं: डीएफसी(सीओसी)67ईडी(एस)/93 द्वारा निकाला गया

<sup>8</sup> 19 सितम्बर 1991 के अधिसूचना सं: डीएफसी(सीओसी)62डीजी(जे) -91 द्वारा प्रतिस्थापित

9 [(viii)] इस पूर्वनिर्धारित शर्त पर कि निर्गमकर्ता या धारक को उक्त डिबेंचर या बांड को शेयर पूंजी में परिवर्तित करने के लिए कोई विकल्प प्राप्त नहीं होगा, डिबेंचर या बांड जारी कर जुटाई गई राशि;]

(ix) ऐसे शेयर या स्टॉक के लिए जिसका आबंटन विचाराधीन हो, अभिदान स्वरूप प्राप्त कोई राशि या इस पैराग्राफ के खंड (viii) में निर्दिष्ट प्रकार के ऐसे डिबेंचरों या बांडों के लिए, जिसका आबंटन विचाराधीन हो, अभिदान स्वरूप प्राप्त कोई राशि और कंपनी के संस्थागत अंतर्नियमों के अनुसार शेयर के संबंध में अग्रिम मांगी गई राशि(calls in advance) स्वरूप प्राप्त कोई राशि, जो संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार शेयरधारकों को जब तक वापस देय नहीं है।

#### 10 [4ए.संयुक्त जमाराशि]

जहां वांछित हो तो अधिकाधिक तीन संयुक्त नामों में निम्नलिखित तीन वाक्यांशों में किसी एक के साथ या बिना किसी वाक्यांश के साथ जमाराशियां स्वीकार की जा सकती हैं “कोई या जीवित” या “पहला या जीवित” या “ कोई एक या जीवित”

### भाग II - जमाराशि स्वीकारना

#### 5. विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकार करना

1 जुलाई 1977 को ऐर उस दिन से कोई विविध गैर-बैंकिंग कंपनी -

(ए) मांग पर या नोटिस पर प्रतिदेय कोई जमाराशि या ऐसी जमाराशि की प्राप्ति की तारीख से छः महीने से कम की अवधि और 36 महीने से अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय कोई जमाराशि नहीं प्राप्त करेगी या प्राप्त ऐसी किसी उक्त राशि का नवीकरण नहीं करेगी, चाहे यह राशि उक्त तारीख से पहले या बाद में प्राप्त की गयी हों, जब तक कि ऐसी जमाराशि, या नवीकरण, ऐसे नवीकरण की तारीख से न छः महीने से पहले और न 36 महीने के बाद प्रतिदेय है:

11 [हटा दिया गया]

12 [हटा दिया गया]

-----  
9 24 जुलाई 1996 के अधिसूचना सं: डीएफसी(सीओसी)87ईडी(जेआरपी) -96 द्वारा प्रतिस्थापित

10 17 जून 1992 के अधिसूचना सं: डीएफसी(सीओसी)65डीजी(टी)92 द्वारा जोड़ा गया

11 [28 अगस्त 2009 के अधिसूचना सं:डीएनबीएस 207/सीजीएम\(एएनआर\) 2009](#) द्वारा हटाया गया

12 [28 अगस्त 2009 के अधिसूचना सं:डीएनबीएस 207/सीजीएम\(एएनआर\) 2009](#) द्वारा हटाया गया



(बी) निम्नलिखित जमाराशि प्राप्त या उसका नवीकरण नहीं करेगी

- (i) ["किसी शेयरधारक से प्राप्त कोई जमाराशि, यदि ऐसी जमाराशि पहले प्राप्त हुई है और स्वीकारने या नवीकरण की तारीख को कंपनी की बहियों में निवल स्वाधिकृत निधियों के 15 प्रतिशत से अधिक बकाया है";]<sup>13</sup> (ii) <sup>14</sup>["अपरिवर्तनीय बांडों या डिबेंचरों सहित कोई अन्य जमाराशि"]'

[ "शर्त यह है कि जहाँ विविध गैर बैंकिंग कंपनी अपने शेयरधारकों से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त जमाराशि धारण किए हैं वहाँ ऐसी राशि परिपक्वता पर अदा की जाएगी और नवीकृत करने की पात्र नहीं होगी" ]<sup>15</sup>

<sup>16</sup>[हटाया गया]

<sup>17</sup>या[हटाया गया]

### <sup>18</sup>स्पष्टीकरण

निवल स्वामित्व की निधि का अभिप्राय है -

(ए) निम्नलिखित को घटाये जाने के बाद अद्यतन तुलनपत्र में दर्शाई गई प्रदत्त ईक्विटी पूंजी और मुक्त आरक्षित निधियों का कुल

- (i) हानि का संचित शेष
- (ii) आस्थगित राजस्व व्यय और
- (iii) अन्य अगोचर परिसंपत्तियां, और

-----  
<sup>13</sup> 28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस 207/सीजीएम(एएनआर) 2009 द्वारा प्रतिस्थापित

<sup>14</sup> 28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस 207/सीजीएम(एएनआर) 2009 द्वारा प्रतिस्थापित

<sup>15</sup> 28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस 207/सीजीएम(एएनआर) 2009 द्वारा जोड़ा गया

<sup>16</sup> 28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस 207/सीजीएम(एएनआर) 2009 द्वारा हटाया गया

<sup>17</sup> 28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस 207/सीजीएम(एएनआर) 2009 द्वारा हटाया गया

<sup>18</sup> 31 मार्च 1997 की अधिसूचना सं: डीएफसी(सीओसी)104-ईडी(जेपीआर)/97 द्वारा प्रतिस्थापित

(बी) आगे निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करनेवाली राशियां घटाने के बाद

- (1) निम्नलिखित के शेयरों में ऐसी कंपनी का निवेश
  - (i) अपनी अनुषंगी संस्थाएं
  - (ii) उसी समूह की कंपनियां
  - (iii) सभी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और
- (2) निम्नलिखित को डिबेंचरों, बांडों, बकाया ऋणों और अग्रिमों (किराया खरीद और पट्टा वित्त सहित) का बही मूल्य, और उनके पास जमाराशियां
  - (i) ऐसी कंपनी की अनुषंगी कंपनियां और
  - (ii) उसी समूह की कंपनियां

ऐसी राशि जो उक्त (क) के दस प्रतिशत से अधिक है।]

#### 6. जमाराशि की मांग (सॉलीसिट) करनेवाले आवेदन पत्र में निर्दिष्ट किए जानेवाले विवरण

1 जुलाई 1977 से कोई विविध गैर-बैंकिंग कंपनी ऐसी कोई जमाराशि स्वीकार, उसका नवीकरण या परिवर्तन नहीं करेगी जो कंपनी द्वारा जमाकर्ता को प्रदत्त फार्म में लिखित आवेदन द्वारा जमा नहीं की जाती। उक्त आवेदन फार्म में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 58ए के अंतर्गत निर्मित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां (विज्ञापन) विनियमावली, 1977 में निर्दिष्ट सभी विवरण दिए रहेंगे।

#### 7. जमाकर्ताओं को रसीद देना

(1) हर विविध गैर-बैंकिंग कंपनी प्रत्येक जमाकर्ता 19[या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह] या उसके एजेंट को, अगर पहले ऐसा नहीं किया है तो, ऐसी प्रत्येक राशि के लिए रसीद जारी करेगी जो कंपनी ने इन निदेशों के प्रारंभ की तारीख के पहले या बाद में जमाराशि स्वरूप प्राप्त किया है या कंपनी प्राप्त कर सकती है।

-----  
19 17 जून 1992 के अधिसूचना सं: डीएफसी(सीओसी)65डीजी(टी)92 द्वारा जोड़ा गया

(2) उक्त रसीद पर कंपनी की ओर से इस संबंध में अधिकार प्राप्त कोई अधिकारी उचित रूप से हस्ताक्षर करेगा और उसमें जमाराशि जमा करने की तारीख, जमाकर्ता का नाम, जमाराशि के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त राशि का शब्दों और अंकों में ब्योरा, उस पर देय ब्याज की दर और जमाराशि की प्रतिदेय तारीख का उल्लेख करेगा।

## 8. जमाराशि का रजिस्टर

(1) हर विविध गैर-बैंकिंग कंपनी एक या उससे अधिक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक जमाकर्ता के निम्नलिखित विवरण अलग-अलग प्रविष्ट किए जाएंगे, यथा -

- (ए) जमाकर्ता का नाम और पता
- (बी) प्रत्येक जमाराशि की राशि और तारीख
- (सी) प्रत्येक जमाराशि की अवधि और देय तारीख
- (डी) प्रत्येक जमाराशि पर प्रोद्भूत ब्याज या प्रीमियम की राशि और तारीख
- (ई) मूल, ब्याज या प्रीमियम संबंधी प्रत्येक चुकौती की राशि और तारीख
- (एफ) जमाराशि संबंधी अन्य कोई विवरण

(2) उक्त रजिस्टर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाएगा/रखे जाएंगे और जिस वित्तीय वर्ष में उस रजिस्टर में दिए गए विवरणवाली किसी जमाराशि की चुकौती या नवीकरण की अद्यतन प्रविष्टि की जाती है, उस वर्ष से कम-से-कम आठ कैलेंडर वर्षों की अवधि के लिए उसे समुचित व्यवस्था में सुरक्षित रखा जाएगा

शर्त यह है कि अगर कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उप-धारा (1) में उल्लिखित खाता-बहियां उक्त उप-धारा के प्रावधानों के अनुसार कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय से इतर अन्य किसी जगह रखती है, तो इस पैराग्राफ का वह पर्याप्त अनुपालन होगा अगर कंपनी अपना उक्त रजिस्टर ऐसी अन्य जगह में रखती है लेकिन शर्त यह है कि उक्त उप-धारा के प्रावधान के अंतर्गत रजिस्ट्रार को दिये गये नोटिस की एक प्रति कंपनी रजिस्ट्रार को उक्त नोटिस दिये जाने की तारीख से 7 दिन के अंदर रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराती है।

## 9. बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली सूचना

(1) इन निदेशों के प्रारंभ की तारीख के बाद कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कंपनी की आम सभा में प्रस्तुत की जानेवाली निदेशकों के बोर्ड की प्रत्येक रिपोर्ट में विविध गैर-बैंकिंग कंपनी के मामले में निम्नलिखित विवरण या सूचना शामिल की जाएंगी, यथा

(ए) कंपनी के ऐसे जमाकर्ताओं की कुल संख्या जिन्होंने चुकोती या नवीकरण की नियत तारीख, जमाकर्ता के साथ संविदा या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुसार जैसा भी मामला हो, गुजर जाने के बाद जमाराशि का दावा नहीं किया है या जिनका कंपनी ने भुगतान नहीं किया है

(बी) जमाकर्ताओं को कुल देय राशि और उक्त खंड (क) में उल्लिखित तारीखों के बाद अदावी या अदत्त शेष राशि

(2) उक्त विवरण या सूचना रिपोर्ट के संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार दी जाएगी और अगर पूर्व उप-पैराग्राफ के खण्ड (ख) में उल्लिखित अदावी या असंवितरित शेष राशियां 5 लाख रुपये की कुल राशि से अधिक हैं; तो जमाकर्ताओं को देय अदावी या असंवितरित राशियों की चुकोती के लिए निदेशकों के बोर्ड द्वारा किए गए उपाय या किए जानेवाले उपायों से संबंधित एक विवरण रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

### 20 ब्याज दर और दलाली संबंधी उच्चतम सीमा

9ए. 21[(1)]22[ 24 अप्रैल 2007] से कोई विविध गैर-बैंकिंग कंपनी

(ए) 23 ["साढ़े बारह] प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से अधिक ब्याज दर पर जमाराशि नहीं मांगेगी या स्वीकार करेगी या नवीकरण करेगी। ब्याज का भुगतान या उसकी चक्रवृद्धि की अवधि मासिक से छोटी नहीं होनी चाहिए।

24 [हटाया गया]

25[(बी) दलालों को उनके माध्यम से संग्रहीत जमाराशियों पर नीचे दी गई निर्दिष्ट दरों से अधिक दर पर दलाली नहीं देगी:]

20 30 मार्च 1981 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस.43 ईडी(एस)-81 द्वारा जोड़ा गया

21 17 सितम्बर 2003 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस 175/सीजीएम(ओएपी)2003 द्वारा पैराग्राफ 9अ(i) की संख्या दी गयी

22 24 अप्रैल 2007 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस 196/सीजीएम(पीके)-2007 द्वारा प्रतिस्थापित

23 24 अप्रैल 2007 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस 196/सीजीएम(पीके)-2007 द्वारा प्रतिस्थापित

24 28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस 207/सीजीएम(एएनआर) -2009 परंतु हटाया गया

25 24 फरवरी 1982 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस 46/ईडी(बी) /87 द्वारा जोड़ा गया

- |       |  |   |
|-------|--|---|
| (i)   | जहां जमाराशि 1 वर्ष की अवधि से ज्यादा अवधि के लिए नहीं है          | ऐसी जमाराशि का एक प्रतिशत                     |
| (ii)  | जहां जमाराशि एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए है | ऐसी जमाराशि का 1.25 प्रतिशत (प्रति वर्ष नहीं) |
| (iii) | जहां जमाराशि दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए है वर्ष नहीं)          | ऐसी जमाराशि का 1.5 प्रतिशत (प्रति वर्ष नहीं)  |

26 [हटाया गया]

### जमाकर्ताओं को जमाराशियों की परिपक्वता की सूचना

27 [9एए विविध गैर-बैंकिंग कंपनी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह जमाकर्ता को उसकी जमाराशियों की परिपक्वता के ब्योरे जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से कम-से-कम 2 महीने पहले सूचित करे।]

### परिपक्वता से पहले जमाराशि का नवीकरण

28 [29[9एबी अगर कोई विविध गैर-बैंकिंग कंपनी वर्तमान जमाकर्ता 30[जो शेयरधारक है] को ब्याज की उच्चतर दर का लाभ उठाने के लिए परिपक्वता से पहले जमाराशि के

नवीकरण की अनुमति देती है, तो कंपनी जमाकर्ता को ब्याज दर में वृद्धि का भुगतान करेगी लेकिन शर्त यह है कि,

(i) जमाराशि का नवीकरण इन निदेशों के अन्य प्रावधानों के अनुसार और मूल संविदा की शेष अवधि से अधिक अवधि के लिए किया जाए, और

(ii) जमाराशि की समाप्त हुई (एक्सपायर्ड) अवधि पर ब्याज 31[उस दर से जो कंपनी सामान्यतः अदा करती, अगर जमाराशि उस अवधि के लिए स्वीकार की जाती जिसके लिए जमाराशि रखी गयी है] एक प्रतिशत प्वायंट घटाकर दिया जायेगा और/या पहले अदा किया गया है तो वापस वसूल किया जायेगा/समायोजित किया जायेगा।

26 [28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस 207/सीजीएम\(एएनआर\) 2009](#) द्वारा हटाया गया

27 5 अक्टूबर 2004 की अधिसूचना सं:181 द्वारा जोड़ा गया

28 19 सितम्बर 1991 की अधिसूचना सं: डीएफसी(सीओसी)62/डीजी(जे) द्वारा जोड़ा गया

29 5 अक्टूबर 2004 की अधिसूचना सं: 181 द्वारा नयी संख्या दी गई

30 [28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस 207/सीजीएम \(एएनआर\)](#) द्वारा जोड़ा गया.

31 1 जनवरी 1997 की अधिसूचना सं: 94.ईडी(जेआरपी)/96 द्वारा प्रतिस्थापित

### अतिदेय जमाराशियों का नवीकरण

32 [25[9एसी] विविध गैर-बैंकिंग कंपनी अपने विवेकानुसार अतिदेय जमाराशि या उक्त अतिदेय जमाराशि के किसी अंश पर जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से ब्याज दे सकती है लेकिन शर्त यह है कि

(ए) इन निदेशों के अन्य प्रावधानों के अनुसार अतिदेय जमाराशि की कुल राशि या उसके अंश की परिपक्वता की तारीख से भविष्य की किसी तारीख तक के लिए नवीकरण किया जाए, और

(बी) ऐसी अतिदेय राशि की परिपक्वता की तारीख को प्रभावी उचित दर पर ब्याज देने की अनुमति होगी जो सिर्फ नवीकृत जमाराशि की राशि पर देय होगी।]

### जमाराशियों की चुकौती से संबंधित सामान्य प्रावधान

#### 33 न्यूनतम अवरुद्ध अवधि और जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में चुकौती

9बी (i) कोई विविध गैर-बैंकिंग कंपनी जमाराशि की जमानत पर ऋण नहीं देगी या जमाराशि की स्वीकारने की तारीख से तीन महीने की अवधि (अवरुद्ध अवधि) के अन्दर जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती नहीं करेगी;

बशर्त जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विविध गैर-बैंकिंग कंपनी जीवित वाक्यांशवाली संयुक्त धारिता के मामले में जीवित जमाकर्ता/ओं को या मृत जमाकर्ता के नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी को जीवित जमाकर्ता/ओं/ नामिती/ कानूनी उत्तराधिकारी के अनुरोध पर कंपनी को मृत्यु का मान्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जमाराशि की अवधिपूर्व, अवरुद्ध अवधि के बीच भी चुकौती कर सकती है।

### समस्याग्रस्त विविध गैर-बैंकिंग कंपनी नहीं होने पर विविध

#### गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा 34 [हटाया गया] जमाराशियों की चुकौती

(ii) उप-पैराग्राफ (i) में दिए गए प्रावधानों के अधीन विविध गैर-बैंकिंग कंपनी जो समस्याग्रस्त विविध गैर-बैंकिंग कंपनी नहीं है-

32 31-12-1994 की अधिसूचना सं: 79डीजी(टी) /94 द्वारा प्रतिस्थापित ,

33 5 अक्टूबर 2004 की अधिसूचना सं: 181 द्वारा प्रतिस्थापित

34 [28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस 207/सीजीएम\(एएनआर\) 2009](#) द्वारा हटाया गया

(ए) 5 अक्टूबर 2004 से किसी जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती की अनुमति

अपने विवेकानुसार दे सकती है

शर्त यह है कि उक्त तारीख के पहले स्वीकार की गई जमाराशि के मामले में, ऐसी विविध गैर-बैंकिंग कंपनी, ऐसी जमाराशि के स्वीकार की शर्तों द्वारा अनुमत होने पर, जमाकर्ता के अनुरोध पर, जमाराशि की जमा करने की तारीख से 3 महीने की अवधि पूरी होने के बाद अवधिपूर्व चुकौती कर सकती है;

(बी) जमाकर्ता को जमाराशि जमा करने की तारीख से 3 महीने की अवधि पूरी होने के बाद जमाराशि पर देय ब्याज दर से 2 प्रतिशत बिन्दु अधिक ब्याज दर पर जमाराशि के 75 प्रतिशत तक ऋण स्वीकृत कर सकती है।

### **समस्याग्रस्त विविध गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा <sup>35</sup>[हटाया गया] जमाराशियों की चुकौती**

(iii) उप पैराग्राफ (i) में प्रदत्त प्रावधानों के अधीन, जमाकर्ता को आकस्मिक प्रकृति के व्यय की पूर्ति के लिए सक्षम बनाने के लिए, समस्याग्रस्त विविध गैर-बैंकिंग कंपनी निम्नलिखित मामलों में ही, जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती या उस जमाराशि के आधार पर ऋण दे सकती है, यथा:

(ए) छोटी जमाराशि की पूरी चुकौती या अधिक से अधिक 10,000 रुपये तक किसी अन्य जमाराशि की चुकौती कर सकती है

(बी) किसी छोटी जमाराशि के आधार पर या किसी अन्य जमाराशि के आधार पर जमाराशि पर देय ब्याज दर से दो प्रतिशत बिन्दु अधिक ब्याज दर पर अधिक से अधिक 10,000 रुपये की राशि तक ऋण दे सकती है।

### **<sup>36</sup>समस्याग्रस्त विविध गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जमाराशियों का समूहन**

(iv) किसी अकेले/प्रथम नामवाले जमाकर्ता के नाम से उसी क्षमता में रखी सभी जमाराशि खातों का समूहन किया जायेगा और समस्याग्रस्त विविध गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा अवधिपूर्व चुकौती या ऋण देने के प्रयोजन के लिए उन्हें एक जमाराशि खाता माना जाएगा

35 [28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं:डीएनबीएस 207/सीजीएम\(एएनआर\) 2009](#) द्वारा हटाया गया

36 9 दिसम्बर 2005 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस 184/सीजीएम(पीके)-2005 द्वारा प्रतिस्थापित

लेकिन शर्त यह है कि उप-पैराग्राफ (i) में दिए गए प्रावधान के अनुसार जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में अवधिपूर्व अदायगी के संबंध में उक्त खंड लागू नहीं होगा]

**जमाराशियों की अवधिपूर्व चुकौती से संबंधित ब्याज दर**

(v) अगर विविध गैर-बैंकिंग कंपनी, अपने विवेक से या जमाकर्ता के अनुरोध पर, जैसा भी मामला हो, जमाराशि स्वीकार करने की तारीख से तीन महीने बाद किन्तु अवधि पूरा होने से पहले, (जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में अवधिपूर्व अदायगी के मामले सहित) जमाराशि की चुकौती करती है, तो वह निम्नलिखित दर पर ब्याज अदा करेगी

|  |  |
|--|--|
| तीन महीने बाद लेकिन छः महीने से पहले             | कोई ब्याज नहीं   |
| छः महीने के बाद लेकिन परिपक्वता की तारीख से पहले | ब्याज जमाराशि की जमा रहने की अवधि तक लागू दर से 2 प्रतिशत कम अदा किया जाएगा या यदि उस अवधि के लिए कोई ब्याज दर निर्दिष्ट नहीं है तो विविध गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जमाराशि स्वीकारने की न्यूनतम दर से 3 प्रतिशत कम अदा किया जाएगा। |

**स्पष्टीकरण** इस पैराग्राफ के लिए,

(ए) 'समस्याग्रस्त विविध गैर-बैंकिंग कंपनी' का अभिप्राय ऐसी विविध गैर-बैंकिंग कंपनी से है -

- (i) जिसने परिपक्व जमाराशियों की चुकौती की विधि संगत मांग को पांच कामकाज के दिनों के अंतर्गत पूरी करने से अस्वीकार कर दिया या ऐसा करने में जो विफल रही ; या
- (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड को छोटे जमाकर्ताओं की किसी जमाराशि या उसके किसी अंश या उस पर कोई ब्याज की अदायगी में हुई चूक के बारे में सूचित करती है ; या
- (iii) जमाराशियों की मांग पूर्ति के लिए तरल आस्तियों की निकासी के लिए रिजर्व बैंक से अनुरोध करती है ; या



- (iv) जमाराशियों या अन्य बाध्यताओं की पूर्ति में चूक से बचने के लिए विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 के प्रावधानों से छूट या ढील या राहत के लिए रिज़र्व बैंक से अनुरोध करती है;
- (v) कंपनी के ऋणदाताओं द्वारा बकाया की चुकौती नहीं किए जाने के संबंध में की गई शिकायत या जमाकर्ताओं द्वारा जमाराशि की चुकौती नहीं किए जाने के संबंध में की गई शिकायत के आधार पर या रिज़र्व बैंक ने स्वयं (सुओ मोटो) ऐसी कंपनी की पहचान समस्याग्रस्त विविध गैर-बैंकिंग कंपनी के रूप में की है।
- (बी) 'बहुत छोटी जमाराशियां' का अभिप्राय ऐसी राशि से है जो विविध गैर-बैंकिंग कंपनी की सभी शाखाओं में अकेले या प्रथम नामवाले जमाकर्ता के नाम में जमाराशियों की कुल(aggregate) राशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं है।]

### भाग III - विविध

#### रिज़र्व बैंक को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लेखा और तुलनपत्र की प्रतियां प्रस्तुत करना

10. प्रत्येक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी को, अगर उसने ऐसा पहले नहीं किया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र और उसी वर्ष से संबंधित लेखा-परीक्षित लाभ-हानि लेखे का विवरण जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217(i) के अनुसार कंपनी के समक्ष निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट के साथ कंपनी की आम सभा में पारित हुआ है, ऐसी सभा के 15 दिनों के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

#### 37 रिज़र्व बैंक को विवरणी प्रस्तुत करना

11.(1) पैराग्राफ 10 के प्रावधानों पर बिना कुप्रभाव डाले, हर विविध गैर-बैंकिंग कंपनी को <sup>38</sup>[जो जमाराशियां रखती या स्वीकार करती है] प्रथम सूची में निर्दिष्ट तारीखों की स्थिति के अनुसार उक्त सूची में निर्दिष्ट सूचना विवरणी में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

(2)(i) हर विविध गैर-बैंकिंग कंपनी, इन निदेशों के लागू होने के या अपना कारोबार शुरू करने के अधिक से अधिक एक महीने के अंदर, जो भी बाद में हो, रिज़र्व बैंक को एक लिखित विवरण में निम्नलिखित की सूची प्रस्तुत करेगी –

37 [28 अगस्त 2009 का परिपत्र गैरबैंकिंग\(नीप्र\)कंपरि.सं.159/03.03.01/2009-10](#) के अनुसार एमएनसीबीसी अपने शेयर धारकों को छोड़कर किसी से सार्वजनिक जमाराशि नहीं स्वीकार सकती।

38 27 दिसम्बर 2005 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस 185/सीजीएम (पीके) 2005 द्वारा जोड़ा गया

- (ए) इसके प्रधान अधिकारियों के नाम और आधिकारिक पदनाम;  
 (बी) कंपनी के निदेशकों के नाम और आवासीय पते, और  
 (सी) उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट विवरणियों पर कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नमूने हस्ताक्षर
- (ii) इस उप-पैराग्राफ के खंड (1) में उल्लिखित सूची में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में रिज़र्व बैंक को ऐसे परिवर्तन होने के एक माह के अंदर संबंधित सूचना दी जाएगी।

### 39[पर्यवेक्षण विभाग] को तुलन-पत्र, विवरणी,आदि प्रस्तुत किया जाना

12. इन निदेशों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले अपेक्षित कोई तुलनपत्र, विवरणी या अन्य कोई सूचना रिज़र्व बैंक के 40[पर्यवेक्षण विभाग] के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे जिसके कार्यक्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, जैसा कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

### 41विज्ञापन और विज्ञापन के बदले विवरण

13.(1) प्रत्येक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियमावली, 1977 के प्रावधानों का अनुपालन करेगी और जारी किए जानेवाले प्रत्येक विज्ञापन में इसके अंतर्गत निम्नलिखित को निर्दिष्ट करेगी

- (ए) जमाकर्ता को ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के रूप में प्रतिलाभ की वास्तविक दर
- (बी) जमाकर्ता को भुगतान का तरीका
- (सी) जमाराशि की परिपक्वता अवधि
- (डी) निर्दिष्ट जमाराशि पर देय ब्याज
- (ई) परिपक्वता अवधि से पहले जमाकर्ता द्वारा जमाराशि निकालने के मामले में देय ब्याज की दर, वे शर्तें जिनके अधीन जमाराशि का नवीकरण किया जाएगा; और

39 24 जुलाई 1996 की अधिसूचना सं: डीएफसी(सीओसी)87 ईडी(जेआरपी)/96 द्वारा प्रतिस्थापित

40 24 जुलाई 1996 की अधिसूचना सं: डीएफसी(सीओसी)87 ईडी(जेआरपी)/96 द्वारा प्रतिस्थापित

41 19 सितम्बर 1991 की अधिसूचना सं:डीएफसी(सीओसी)62 डीजी(जे) 91 द्वारा प्रतिस्थापित

(एफ ) जिन शर्तों के अधीन जमाराशियां (स्वीकार की जाती हैं)/ उसका नवीकरण किया जाता है, उनसे संबंधित कोई अन्य विशिष्ट विशेषताएं

42[(जी)कि इसके द्वारा मांगी (सालीसिटेड) गई जमाराशियां बीमाकृत नहीं की जाती हैं।]

(2) जहां कंपनी किसी व्यक्ति को आमंत्रित किए बगैर या अनुमति दिए बगैर या उसके माध्यम से बगैर आमंत्रण जमाराशियां स्वीकार करने का इरादा करती है, जमाराशियां स्वीकार करने से पहले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियमावली, 1977 और उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (1) में उल्लिखित विवरण के अनुसरण में रिज़र्व बैंक के 43 [पर्यवेक्षण विभाग] के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके कार्यक्षेत्र में इसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है, पंजीकरण के लिए विज्ञापन के स्थान पर सभी ब्योरे सहित एक विवरण सुपुर्द करेगी जो उक्त नियमावली के प्रावधान के अनुसार उचित रूप से हस्ताक्षरित होगा।

(3) उप-पैराग्राफ (2) के अंतर्गत सुपुर्द विवरण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 6 महीने समाप्त होने तक वैध रहेगा जिसमें यह सुपुर्द किया जाता है या उस तारीख तक जब कंपनी की आम सभा में तुलन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है या जहां किसी वर्ष के लिए वार्षिक आम सभा नहीं हुई है, हाल की वह तारीख जब कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के प्रावधानों के अनुसार आम सभा होनी चाहिए थी, जो भी पहले हो, और प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त वित्तीय वर्ष में जमाराशि स्वीकार करने के पहले नया विवरण सुपुर्द किया जाएगा।

#### 14. छूट

रिज़र्व बैंक, अगर ऐसा समझता है कि किसी समस्या से बचने के लिए या किसी अन्य सही और पर्याप्त कारण से ऐसा करना आवश्यक है, ऐसी शर्तों के अधीन जो रिज़र्व बैंक निर्धारित करेगा, इन निदेशों के प्रावधानों में से किसी या सभी से सामान्यतः या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी कंपनी या कंपनी के वर्ग को अनुपालन की अवधि में बढोत्तरी की स्वीकृति या छूट दे सकता है।

#### 15. कतिपय अन्य निदेशों का नहीं लागू होना

इन निदेशों के पैराग्राफ (2) में उल्लिखित प्रकार की वित्तीय संस्था पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 में उल्लिखित कुछ भी लागू नहीं होंगे।

-----

42 1 अक्टूबर 2002 की अधिसूचना सं: डीएनबीएस 162/सीजीएम (सीएसएम) -2002 द्वारा जोड़ा गया

43 1 जनवरी 1997 की अधिसूचना सं: डीएफसी (सीओसी)94 ईडी(जेआरपी)/96 द्वारा प्रतिस्थापित

16. विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1973 के उल्लंघन के लिए की गई या की जानेवाली कार्रवाई का बचाव

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित, विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1973 का अधिक्रमण किसी प्रकार निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा

- (i) कोई अधिकार, दायित्व, या उसके अंतर्गत अर्जित, प्रोद्भूत या हासिल कोई देयता;
- (ii) उसके अंतर्गत किसी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दण्ड;
- (iii) उक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या दण्ड के संबंध में कोई छान-बीन, कानूनी कार्रवाई या उपचारात्मक उपाय

और उपर्युक्त के अनुसार कोई छान-बीन, कानूनी प्रक्रिया या उपचारात्मक उपाय शुरू की गई है या जारी है या लागू की गई है और ऐसा कोई जुर्माना, जब्ती या दण्ड लगाया जाए मानो उन निदेशों का अधिक्रमण हुआ ही नहीं हो।

ह/-  
(आर. के. हजारी)  
उप गवर्नर

संशोधनकारी अधिसूचनाओं की सूची  
अधिसूचना सं. तारीख

|      |     |                 |
|------|-----|-----------------|
| [1]  | 74  | 19 अप्रैल 1994  |
| [2]  | 79  | 31 दिसंबर 1994  |
| [3]  | 81  | 28 अक्टूबर 1995 |
| [4]  | 87  | 24 जुलाई 1996   |
| [5]  | 94  | 1 जनवरी 1997    |
| [6]  | 101 | 29 मार्च 1997   |
| [7]  | 104 | 31 मार्च 1997   |
| [8]  | 145 | 30 जून 2000     |
| [9]  | 147 | 31 मार्च 2001   |
| [10] | 150 | 27 जून 2001     |
| [11] | 152 | 31 अक्टूबर 2001 |
| [12] | 181 | 5 अक्टूबर 2004  |
| [13] | 184 | 9 दिसंबर 2005   |
| [14] | 185 | 27 दिसंबर 2005  |
| [15] | 191 | 4 जनवरी 2007    |
| [16] | 196 | 24 अप्रैल 2007  |
| [17] | 207 | 28 अगस्त 2009   |

संलग्नक  
द्वितीय अनुसूची  
(कृपया निदेशों का पैरा 12 देखें)  
भारतीय रिज़र्व बैंक

के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र

| <u>कार्यालय के नाम और पते</u>   | <u>अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र</u>  |
|---|---|
| 1. अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय,<br>ला गज्जर चेम्बर्स,<br>आश्रम रोड,<br>अहमदाबाद - 380 009.  | गुजरात राज्य तथा संघशासित क्षेत्र<br>दमन और दीव तथा दादरा<br>और नागर हवेली            |
| 2. बंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय,<br>10-3-8, नृपतुंगा रोड,<br>बंगलूर - 560 002.   | कर्नाटक राज्य   |
| 3. भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय,<br>होशंगाबाद रोड,<br>पोस्ट बॉक्स सं.32,<br>भोपाल - 462 011.  | 44 [मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़<br>राज्य]  |
| 4. भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय,<br>पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग<br>पोस्ट बैग सं. 16,<br>भुवनेश्वर - 751 001.                           | उड़ीसा राज्य  |
| 5. 45 [कोलकाता] क्षेत्रीय कार्यालय,<br>15, नेताजी सुभाष रोड,<br>46 [कोलकाता] - 700 001.   | सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य<br>तथा संघशासित क्षेत्र अंदमान और<br>निकोबार द्वीप समूह |
| 6. चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय,<br>11, सेन्ट्रल विस्टा<br>नया कार्यालय भवन<br>टेलीफोन भवन के सामने<br>सेक्टर 17,<br>चंडीगढ़ - 160 017. | हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य और<br>संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़                             |

-----  
44 27 जून 2001 की अधिसूचना सं: 150 द्वारा प्रतिस्थापित

45 27 जून 2001 की अधिसूचना सं: 150 द्वारा प्रतिस्थापित

46 27 जून 2001 की अधिसूचना सं: 150 द्वारा प्रतिस्थापित

- |                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 7.                | चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय,<br>फोर्ट ग्लासिस, राजाजी पथ,<br>चेन्नै - 600 001.                         | तमिलनाडु राज्य तथा<br>संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी                               |
| 8.                | गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय,<br>स्टेशन रोड, पान बाजार,<br>पोस्ट बॉक्स सं.120,<br>गुवाहाटी - 781 001. | अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर,<br>मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और<br>त्रिपुरा राज्य |
| 9.                | हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय,<br>6-1-56, सेक्रेटेरियट रोड,<br>सैफाबाद,<br>हैदराबाद - 500 004.         | आंध्र प्रदेश राज्य   |
| 10.               | जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय,<br>राम बाग सर्कल,<br>टॉक रोड, पी.बी. सं.12,<br>जयपुर - 302 004.            | राजस्थान राज्य   |
| 11.               | जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय,<br>रेल हेड कॉम्प्लेक्स,<br>पोस्ट बैग सं.1,<br>जम्मू - 180 012.             | जम्मू और कश्मीर राज्य  |
| 12. <sup>47</sup> | [कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय<br>महात्मा गांधी मार्ग,<br>कानपुर - 208 001.                              | उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल<br>राज्य]  |
| 13.               | मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय,<br>गार्मेट हाऊस, 4थी मंजिल,<br>डॉ.एनी बेसंट रोड,<br>वरली, मुंबई - 400 018. | गोवा और महाराष्ट्र राज्य   |
| 14.               | नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय,<br>6, संसद मार्ग,<br>नई दिल्ली - 110 001.                              | हरियाणा राज्य और दिल्ली के<br>राष्ट्रीय कैपिटल टेरिटोरी                        |

-----  
47 27 जून 2001 की अधिसूचना सं: 150 द्वारा प्रतिस्थापित

15. पटना क्षेत्रीय कार्यालय,  
गांधी मैदान के दक्षिण,  
पोस्ट बैग सं.162,  
पटना-800 001.

<sup>48</sup> [बिहार और झारखण्ड राज्य]

16. तिरुवनन्तपुरम क्षेत्रीय कार्यालय,  
बेकरी जंक्शन,  
तिरुवनन्तपुरम-695 033.

केरल राज्य तथा संघशासित क्षेत्र  
लक्षद्वीप

-----  
48 27 जून 2001 की अधिसूचना सं: 150 द्वारा प्रतिस्थापित



49 फार्म - एनबीएस 1

**31 मार्च 20.. की स्थिति के अनुसार जमाराशियों की वार्षिक विवरणी**  
**(जनता से जमाराशियां स्वीकार करने/ रखनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय**  
**कंपनियां और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों 50 द्वारा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग**  
**कंपनियों को छोड़कर) प्रस्तुत की जाए**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| फाईल सं.                 |  |
| पहचान सं.                |  |
| कारोबार का प्रकार        |  |
| जिला कोड                 |  |
| राज्य कोड                |  |
| (भारिबैं द्वारा भरा जाए) |  |

कंपनी का नाम .....

विवरणी भरने के लिए अनुदेश - सामान्य

1. यह विवरणी 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी.118/ डीजी (एसपीटी)-98 के पैरा 8(3) द्वारा कवर की गई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और 20 जून, 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/ डीजी(एच)-77 के पैरा 11 द्वारा कवर की गई विविध गैर-बैंकिंग कंपनी, वर्ष में एक बार संबंधित कंपनी के वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख पर ध्यान दिए बगैर 31 मार्च को उसकी स्थिति के संदर्भ में 31 मार्च के बाद और हर हाल में 30 सितंबर तक भारतीय रिजर्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जहां इसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है, प्रस्तुत की जाए। कंपनी के लेखापरीक्षकों से इसके साथ दिये गये फार्मेट के अनुसार प्रमाण पत्र विवरणी में संलग्न किया जाए। लेकिन केवल भाग-3 के लिए सूचना अद्यतन किन्तु विवरणी की तारीख के पूर्व तुलन पत्र के अनुसार प्रस्तुत की जाए।

*ध्यान दें दिनांक 13.1.2000 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस.135/सीजीएम (वीएसएनएम) 2000 के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2001 को समाप्त अपने लेखावर्ष से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार तैयार करेंगी। अतः 31 मार्च 2001 को समाप्त लेखावर्ष से विवरणी के भाग 3 में सूचना चालू तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार इस विवरणी की तारीख के समरूप होगी।*

49 30 जून 2000 की अधिसूचना सं: 145 द्वारा प्रतिस्थापित

50 4 जनवरी 2007 की अधिसूचना सं: 191 द्वारा जोडा गया

2. विवरणी की प्रस्तुति में वार्षिक लेखों के लेखा परीक्षण को अंतिम रूप देने/ पूरा करने जैसे किसी कारण से किसी भी तरह का विलंब नहीं होना चाहिए। विवरणी का संकलन कंपनी की लेखा बही में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए तथा यह इसके सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
3. **लेखों की संख्या** वास्तविक आंकड़ों में दी जानी चाहिए जबकि **जमा की राशि लाख रुपये में दर्शायी जानी चाहिए**। राशि को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया जाए। उदाहरणार्थ 4,56,100 रु. की राशि को 5 के रूप में न कि 4.6 के रूप में अथवा 5,00,000 के रूप में दर्शाया जाए। इसी प्रकार, 61,49,500 रु. की राशि को 61 और न कि 61.5 अथवा 61,00,000 के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
4. विवरणी प्रबंधक (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में यथापरिभाषित) तथा यदि ऐसा कोई प्रबंधक न हो तो कंपनी के प्रबंध निदेशक अथवा किसी पदाधिकारी द्वारा जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया है और जिनका नमूना हस्ताक्षर इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है, हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि नमूना हस्ताक्षर निर्धारित कार्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो प्राधिकृत किया गया पदाधिकारी विवरणी पर अवश्य हस्ताक्षर करे तथा उसका नमूना हस्ताक्षर अलग से प्रस्तुत किया जाए।
5. यदि विवरणी के किसी भाग/ मद में रिपोर्ट करने के लिए कुछ न हो तो संबंधित भाग/ मद को 'खातों की संख्या' के लिए बने कॉलम में '**कुछ नहीं**' के रूप में लिखा जाए तथा **00** को 'राशि' के लिए बनाए गए स्तंभ में लिखा जाए।
6. इस विवरणी में उल्लिखित सहायक कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों का अर्थ 31 अक्टूबर 1998 के कंपनी अधिनियम में संशोधन पूर्व दर्शाए गए अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा क्रमशः 4 और 372(11) में निर्धारित किया गया है।
7. यदि उस विवरणी को विनिर्दिष्ट वेब सर्वर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (इंटरनेट) द्वारा फाइल किया जाता है तो उसकी एक हार्ड कॉपी विधिवत हस्ताक्षरित करके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।

कंपनी प्रोफाइल

|    |   |     |           |      |  |           |  |
|----|---|-----|-----------|------|--|-----------|--|
| 1. | कंपनी का नाम                                |     |           |      |  |           |  |
| 2. | पंजीकृत कार्यालय का पता                     |     |           |      |  |           |  |
|    |   | पिन |           |      |  |           |  |
|    | फोन सं.                                     |     | फैक्स सं. |      |  | ई-मेल पता |  |
| 3. | राज्य का नाम जहां कंपनी पंजीकृत है          |     |           |      |  |           |  |
| 4. | कॉर्पोरेट/ प्रधान कार्यालय का पता           |     |           |      |  |           |  |
|    |   | पिन |           |      |  |           |  |
|    | फोन सं.                                     |     | फैक्स सं. |      |  | ई-मेल पता |  |
| 5. | निगमन की तारीख                              |     |           |      |  |           |  |
| 6. | कारोबार शुरू होने की तारीख                  |     |           |      |  |           |  |
| 7. | नाम और आवासीय पते<br>i) अध्यक्ष             |     |           |      |  |           |  |
|    | ii) प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी  |     |           |      |  |           |  |
| 8. | क्या यह एक सरकारी कंपनी है (कृपया टिक करें) | हां |           | नहीं |  |           |  |

|     |  |                    |  |                    |
|-----|--|--------------------|--|--------------------|
| 9.  | कंपनी की हैसियत (कृपया टिक करें)   |                    |  |                    |
|     |  | (i) पब्लिक लि.     |  | (ii) डीमड पब्लिक   |
|     |  | (iii) प्राइवेट लि. |  | (iv) संयुक्त उद्यम |
| 10. | कंपनी का वित्तीय वर्ष  |                    |  |                    |
| 11. | कारोबार का स्वरूप  |                    |  |                    |
| 12. | भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण की हैसियत<br>i) पंजीकरण के प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख<br>यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई है                            |                    |  |                    |
|     | ii) यदि पंजीकृत नहीं है तो क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत किया गया है/ विचाराधीन है।  |                    |  |                    |
| 13. | कंपनी का वर्गीकरण (यदि रिज़र्व बैंक द्वारा किराया खरीद/ पट्टे देनेवाली/ ऋण/ निवेश/ एमबीसी आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ऐसे वर्गीकरण की संदर्भ संख्या और तारीख) |                    |  |                    |
| 14. | <b>साख श्रेणी निर्धारण:</b>  |                    |  |                    |
|     | i) दी गई साख श्रेणी  |                    |  |                    |
|     | ii) साख श्रेणी निर्धारण की तारीख   |                    |  |                    |
|     | iii) साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी का नाम   |                    |  |                    |
|     | iv) पिछले साख श्रेणी निर्धारण के बाद क्या कोई परिवर्तन हुआ है (ब्योरे दें)   |                    |  |                    |
| 15. | शाखाओं/ कार्यालयों की संख्या<br>(कृपया नोट 1 के अनुसार नीचे दिए गए फार्मेट में उसके नाम और पत्तों की सूची संलग्न करें)   |                    |  |                    |
| 16. | यदि अनुषंगी कंपनी है तो कृपया धारक कंपनी का नाम और पता बताएं   |                    |  |                    |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 17. | यदि कंपनी की अनुषंगी कंपनियां/ सहयोगी कंपनियां हैं उसकी संख्या (कृपया नोट 2 में नीचे दिए गए फार्मेट में उसके नाम, पते, निदेशकों के नाम और कारोबारी कार्यकलापों के ब्योरों की सूची संलग्न करें) |  |
| 18. | यदि संयुक्त उद्यम हैं तो प्रवर्तक संस्था/ संस्थाओं के नाम और पते   |  |
| 19. | कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के नाम, पते और फोन संख्या   |  |
| 20. | कंपनी के बैंकों के नाम, पते और फोन संख्या  |  |

**नोट (1) शाखाओं के ब्योरे प्रस्तुत करने का फार्मेट**

| क्रम सं. | शाखा का नाम       | खोलने की तारीख | पता | शहर | जिला | राज्य | जनता की जमाराशि   |
|----------|-------------------|----------------|-----|-----|------|-------|---|
|          |                   |                |     |     |      |       |   |
|          |                   |                |     |     |      |       |   |
|          |                   |                |     |     |      |       |   |
|          | शाखाओं की कुल सं. |                |     |     |      |       | सभी शाखाओं की जनता की कुल जमाराशि . . . . .<br>..(राशि)                           |
|          |                   |                |     |     |      |       | ..... (दिनांक)<br>को तुलन पत्र के अनुसार जनता की कुल जमाराशि. . .<br>..... (राशि) |

**नोट (2) सहायक कंपनी के ब्योरे प्रस्तुत करने का फार्मेट**

| क्रम सं. | सहायक कंपनी का नाम | पता | निदेशकों के नाम | कारोबार के क्रियाकलाप |
|----------|--------------------|-----|-----------------|-----------------------|
|          |                    |     |                 |                       |
|          |                    |     |                 |                       |
|          |                    |     |                 |                       |
|          |                    |     |                 |                       |
|          |                    |     |                 |                       |

परिसंपत्तियों और देयताओं का ब्योरा (31 मार्च, 200.... को)

भाग - 1

जनता की जमाराशियां

(राशि लाख रुपए में)

| मद सं. | विवरण  | मद कूट | खातों की सं. | राशि |
|--------|--|--------|--------------|------|
| 1.     | मीयादी जमाराशियों, आवर्ती जमाराशियों के रूप में जनता से प्राप्त जमाराशियां                               | 111    |              |      |
| 2.     | (i) किसी पब्लिक लिमि. कंपनी द्वारा शेयर धारकों से प्राप्त जमाराशियां (निधियों से इतर)                    | 112    |              |      |
|        | (ii) प्राइवेट लिमि. कंपनी द्वारा प्रथम नामित शेयरधारक से इतर संयुक्त शेयरधारकों से प्राप्त जमाराशि       | 113    |              |      |
| 3.     | (i) अपरिवर्तनीय गैर-जमानती डिबेंचरों के निर्गम द्वारा प्राप्त धन (कृपया नीचे दिए गए अनुदेश सं.1 देखें)   | 114    |              |      |
|        | (ii) जनता जमाराशियों के कोई और प्रकार (कृपया विनिर्दिष्ट करें)   | 115    |              |      |
| 4.     | <b>कुल (111 से 115)</b>  | 110    |              |      |
| 5.     | उपर्युक्त मद 4 की कुल जमाराशि, जो प्रतिदेय हैं   |        |              |      |
|        | (i) 1 वर्ष के अंदर   | 121    |              |      |
|        | (ii) 1 वर्ष के बाद किन्तु 2 वर्ष तक  | 122    |              |      |
|        | (iii) 2 वर्ष के बाद किन्तु 3 वर्ष तक   | 123    |              |      |
|        | (iv) 3 वर्ष के बाद किन्तु 5 वर्ष तक  | 124    |              |      |
|        | (v) 5 वर्ष के बाद  | 125    |              |      |
| 6.     | <b>कुल (121 से 125)</b>  | 120    |              |      |
| 7.     | ब्याज दर के अनुसार उपर्युक्त मद 4 में जनता की जमाराशियों के अलग-अलग ब्योरे (दलाली को छोड़कर, यदि कोई हो) |        |              |      |
|        | (i) 10% से नीचे  | 131    |              |      |
|        | (ii) 10% या उससे अधिक किन्तु 12% से कम   | 132    |              |      |
|        | (iii) 12% अथवा उससे अधिक किन्तु 14% से कम  | 133    |              |      |

|     |  |     |  |  |
|-----|--|-----|--|--|
|     | (iv) 14% अथवा उससे अधिक किन्तु 16% से कम   | 134 |  |  |
|     | (v) 16% पर   | 135 |  |  |
|     | (vi) 16% से अधिक किन्तु 18% तक   | 136 |  |  |
|     | (vii) 18% से अधिक  | 137 |  |  |
| 8.  | <b>कुल (131 से 137)</b>  | 130 |  |  |
| 9.  | आकार के अनुसार जनता जमाराशियों का अलग-अलग ब्योरा   |     |  |  |
|     | i) जनता से प्राप्त मीयादी जमाराशियां (उपर्युक्त मद सं.1 देखें)                                       |     |  |  |
|     | क) 10,000 रु. तक   | 141 |  |  |
|     | ख) 10,000 रु. से अधिक  | 142 |  |  |
|     | ii) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में शेयर धारकों से प्राप्त जमाराशियां (उपर्युक्त मद सं.2 देखें) |     |  |  |
|     | क) 10,000 रु. तक   | 143 |  |  |
|     | ख) 10,000 रु. से अधिक  | 144 |  |  |
|     | iii) अपरिवर्तनीय गैर-जमानती डिबेंचर (उपर्युक्त मद सं.3 देखें)  |     |  |  |
|     | क) 10,000 रु. तक   | 145 |  |  |
|     | ख) 10,000 रु. से अधिक  | 146 |  |  |
| 10. | <b>(141 से 146) का कुल [मद 110 के सामने दर्शाई गई राशि से मेल खाना चाहिए]</b>                        | 140 |  |  |

|     |   |     |  |  |
|-----|---|-----|--|--|
| 11. | उपर्युक्त मद 4 में जमाराशियों का  |     |  |  |
|     | i) वे जमाराशियां, जो परिपक्व हो गई हैं, जिनके लिए दावा नहीं किया गया है   | 151 |  |  |
|     | ii) वे जमाराशियां, जो परिपक्व हो गई हैं, जिनके लिए दावा किया गया है किन्तु भुगतान नहीं किया गया (कृपया नीचे दिए गए अनुदेश सं.2 देखें) | 152 |  |  |
|     | क) जनता से प्राप्त (उपर्युक्त मद सं.1 देखें)  | 153 |  |  |
|     | ख) शेयर धारकों से प्राप्त (उपर्युक्त मद सं.2 देखें)   | 154 |  |  |



|     |   |     |  |  |
|-----|---|-----|--|--|
|     | ग) डिबेंचर धारकों से प्राप्त (उपर्युक्त मद सं.3 देखें) (कृपया संलग्नक सं. . . . में (क) (ख) और (ग) के ब्योरे प्रस्तुत करें) | 155 |  |  |
|     | iii) जिन्हें उपर्युक्त मद (ii) के सामने दर्शाया गया है जहां चुकौती के आदेश सीएलबी ने पारित किया है।                         | 156 |  |  |
| 12. | दलाली अदा कर वर्ष के दौरान जुटाई गई जनता की जमाराशियां  | 157 |  |  |
| 13. | अदा की गई दलाली   | 158 |  |  |
| 14. | 13 से 12 का %   | 159 |  |  |
| 15. | परिपक्व हुई जनता की जमाराशियां जो अवधिपूर्णता के वर्ष सहित 7 वर्ष तक अदावाकृत रहीं।   | 160 |  |  |

### अनुदेश

1. आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों/ बांडों के मामलों में परिवर्तनीय अंश को भाग-2 के मद 9 में दर्शाया जाए। अपरिवर्तनीय गैर-जमानती डिबेंचरों को इस मद के तहत शामिल किया जाए।
2. कंपनी विधि बोर्ड आदेश (यदि कोई हो) के अनुपालन सहित प्रत्येक जामाराशि के न होने के कारण और चुकौती के लिए की गई कार्रवाई को एक संलग्नक में दर्शाएं।

**भाग - 2**  
**अन्य उधारों के विवरण**

| मद सं. | व्योरे   | मद कूट | खातों की संख्या | राशि |
|--------|--|--------|-----------------|------|
| 1.     | केन्द्र/ राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकरण/ अन्य से उधार लिया धन जिसकी चुकौती की गारंटी केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा दी गई है।   | 221    |                 |      |
| 2.     | निम्नलिखित से उधार लिया गया धन   |        |                 |      |
|        | i) विदेशी सरकार  | 222    |                 |      |
|        | ii) विदेशी प्राधिकरण   | 223    |                 |      |
|        | iii) विदेशी नागरिक अथवा व्यक्ति  | 224    |                 |      |
|        | कुल (222 से 224)   | 225    |                 |      |
| 3.     | निम्नलिखित से उधार   |        |                 |      |
|        | i) बैंक  | 226    |                 |      |
|        | ii) अन्य विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाएं  | 227    |                 |      |
| 4.     | किसी अन्य कंपनी से उधार लिया गया धन  | 228    |                 |      |
| 5.     | निदेशकों/ प्रवर्तकों से प्राप्त गैर-जमानती ऋण  | 229    |                 |      |
| 6.     | किसी प्राईवेट कंपनी द्वारा अपने शेयर धारकों से उधार लिया धन  | 230    |                 |      |
| 7.     | जमानत राशि के रूप में कंपनी के कर्मचारियों से प्राप्त और कंपनी एवं कर्मचारियों के नाम में किसी अनुसूचित बैंक अथवा किसी डाक घर में संयुक्त खाते में रखी गई राशि   | 231    |                 |      |
| 8.     | जमानत राशि (कॉशन मनी), मार्जिन राशि के रूप में उधारकर्ता, पट्टेदार, किराएदार से प्राप्त राशि अथवा कंपनी के कारोबार के दौरान जमानत या अग्रिम के रूप में एजेंट से प्राप्त राशि अथवा माल अथवा असबाब की आपूर्ति के आदेश पर अथवा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त अग्रिम | 232    |                 |      |
| 9.     | परिवर्तनीय अथवा जमानती डिबेंचर/ बांड के निर्गम द्वारा प्राप्त राशि (कृपया नीचे दिया गया अनुदेश देखें)  | 233    |                 |      |
| 10.    | उपर्युक्त में, बैंक/ अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अभिदत्त डिबेंचर  | 234    |                 |      |
| 11.    | शेयरों, बांड अथवा विचाराधीन आबंटनवाले डिबेंचरों के रूप में प्राप्त राशि अथवा शेयरों पर अग्रिम कॉल्स के रूप में प्राप्त राशि (पुनर्वित्त के लिए देय नहीं)   | 235    |                 |      |
| 12.    | वाणिज्यिक पत्र   | 236    |                 |      |

|     |   |     |  |  |
|-----|---|-----|--|--|
| 13. | निदेशकों के रिश्तेदारों से प्राप्त जमाराशियां                               | 237 |  |  |
| 14. | म्युच्युअल फंड से लिया गया उधार   | 238 |  |  |
| 15. | कोई अन्य (जनता की जमाराशि के रूप में नहीं मानी गई - कृपया विनिर्दिष्ट करें) | 239 |  |  |
| 16. | कुल (221+225+226 से 233+235 से 239)   | 250 |  |  |

अनुदेश

आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों/ बांडों के मामले में, केवल परिवर्तनीय अंश को उपर्युक्त भाग-2 के मद 9 के सामने दर्शाएं

**भाग - 3**

**निवल स्वाधिकृत निधि**

[आंकड़े विवरणी की तारीख के पूर्व का अद्यतन तुलनपत्र के अनुसार  
अथवा विवरणी की तारीख के तुलनपत्र के अनुसार प्रस्तुत किए जाएं]

[..... को तुलनपत्र]

| मद सं. | विवरण  | मद कोड | राशि |
|--------|--|--------|------|
| 1.     | पूंजीगत निधियां  |        |      |
|        | (i) चुकता ईक्विटी पूंजी  | 311    |      |
|        | (ii) चुकता अधिमान शेयर जो अनिवार्यतः ईक्विटी में परिवर्तनीय हैं  | 312    |      |
|        | (iii) मुक्त प्रारक्षित निधियां (कृपया नीचे दिया गया अनुदेश सं.1 देखें)   | 313    |      |
| 2.     | कुल (311+312+313) = अ  | 310    |      |
| 3.     | (i) हानि का संचित अधिशेष   | 321    |      |
|        | (ii) आस्थगित राजस्व व्यय का अधिशेष   | 322    |      |
|        | (iii) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)   | 323    |      |
| 4.     | कुल (321+322+323) = आ  | 320    |      |
| 5.     | स्वाधिकृत निधि (अ - आ) अर्थात् (310 - 320) = इ   | 330    |      |
| 6.     | निम्नलिखित के शेयरों में निवेश का बही मूल्य  |        |      |
|        | (i) कंपनी की सहायक कंपनियां  | 341    |      |
|        | (ii) उसी समूह की कंपनियां  | 342    |      |
|        | (iii) अन्य सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (संलग्नक सं. . . . . में ब्योरे हैं)   | 343    |      |
| 7.     | निम्नलिखित के डिबेंचरों और बांडों में निवेशों का बही मूल्य   |        |      |
|        | (i) कंपनी की सहायक कंपनियां  | 344    |      |
|        | (ii) उसी समूह की कंपनियां<br>(संलग्नक सं. . . . में ब्योरे हैं)  | 345    |      |
| 8.     | निम्नलिखित के साथ खरीदे/ भुनाए गए बिलों, अंतर कॉर्पोरेट जमाराशियों, किराया खरीद और पट्टा वित्त, वाणिज्यिक पत्रों सहित बकाया ऋण और अग्रिम |        |      |
|        | (i) कंपनी की सहायक कंपनियां  | 346    |      |

|     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
|     | (ii) उसी समूह की कंपनियां (संलग्नक . . . . में ब्योरे हैं) [कृपया नीचे दिया गया अनुदेश सं.2 देखें] | 347 |  |
| 9.  | कुल (341 से 347) = इ   | 340 |  |
| 10. | इ में इ का 10% से अधिक<br>(330 के 10% का अधिक 340)   | 351 |  |
| 11. | निवल स्वाधिकृत निधि (330 - 351) = (इ - 3)  | 350 |  |
| 12. | चुकता अधिमान शेयर पूंजी जो अद्यतन तुलनपत्र के अनुसार अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय नहीं है            | 361 |  |
| 13. | चुकता अधिमान शेयर पूंजी जो इस विवरणी की तारीख को अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय नहीं है                | 362 |  |
| 14. | विवरणी की तारीख के पूर्व के अद्यतन तुलनपत्र के अनुसार कुल देयताएं                                  | 363 |  |
| 15. | इस विवरणी की तारीख को कुल देयता  | 364 |  |

#### अनुदेश

1. उपर्युक्त मद 1(iii) में उल्लिखित "मुक्त प्रारक्षित निधियों" में शेयर प्रीमियम खाता, पूंजी एवं डिबेंचर शोधन प्रारक्षित निधियां और तुलन पत्र में दर्शायी अथवा प्रकाशित और लाभ के किसी आबंटन के माध्यम से सृजित अन्य प्रारक्षित निधियां (लाभ हानि खाते के जमा शेष सहित) शेष राशि शामिल होगी लेकिन जो निम्नलिखित नहीं होगी

(i) किसी भावी देयता अथवा परिसंपत्तियों के मूल्यांस अथवा अनर्जक परिसंपत्तियों/ संदिग्ध ऋणों पर किए गए प्रावधान के लिए सृजित प्रारक्षित निधियां; अथवा

(ii) कंपनी की परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यन द्वारा सृजित प्रारक्षित निधि।

2. किराया खरीद अथवा पट्टा वित्त का तात्पर्य है:

(i) किराया खरीद परिसंपत्तियों के मामले में अपरिपक्व वित्त प्रभारों के इतिशेष द्वारा कम की गई भावी प्राप्य किस्तों के मूल्य; और

(ii) पट्टा परिसंपत्तियों के मामले में, पट्टा परिसंपत्तियों के ंासित बही मूल्य जोड़ का/ पट्टा समायोजन खाते में शेष को घटाकर ;

प्राप्य किन्तु प्राप्त नहीं की गई राशि को दोनों मामलों में जोड़ा जाना चाहिए।

#### भाग - 4

#### अंतर कॉर्पोरेट जमा राशियाँ/ वाणिज्यिक पत्रों सहित बकाया ऋण और अग्रिम

| मद सं. | विवरण   | मद कूट | राशि |
|--------|---|--------|------|
| 1.     | कंपनी की सहयोगी सस्थाओं में ऋण और अग्रिम आदि  | 411    |      |
| 2.     | उसी समूह की कंपनियां  | 412    |      |
| 3.     | कंपनियों, फर्मों और स्वामित्व प्रतिष्ठान, जहां कंपनी के निदेशक के पर्याप्त हित हैं/ निदेशक रुचि रखते हैं (कृपया नीचे दिया गया अनुदेश सं. 1 देखें) (संलग्नक सं. .... में ब्योरे हैं) | 420    |      |
| 4.     | अन्य  |        |      |
|        | (i) कंपनियां जो उस समूह की नहीं हैं   | 431    |      |
|        | (ii) निदेशक/ प्रवर्तक   | 432    |      |
|        | (iii) शेयर धारक   | 433    |      |
|        | (iv) स्टाफ सदस्य  | 434    |      |
|        | (v) जमाकर्ता  | 435    |      |
|        | (vi) अन्य   | 436    |      |
| 5.     | कुल (411 + 412 + 420 + 431 से 436)  | 400    |      |

#### अनुदेश

1. "पर्याप्त हित" का वही अर्थ होगा जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 में निर्धारित है।
2. विविध देनदारों, अग्रिम में चुकाया गया कर और अन्य प्राप्य मदें जो ऋण और अग्रिम स्वरूप की नहीं हैं, को उपर्युक्त भाग 4 में न दर्शाया जाए।
3. अन्य कंपनियों के पास मीयादी जमा को मद 1, 2, 3 और 4(i) के तहत, जैसा मामला हो, शामिल किया जाए।
4. अनउद्धृत डिबेंचरों में निवेश को ऋण माना जाएगा न कि निवेश।

**भाग - 5(i)**  
**निवेश (बही मूल्य पर)**

| मद सं. | विवरण  | मद कोड | राशि |
|--------|--|--------|------|
| 1.     | निम्नलिखित में निवेश -   |        |      |
|        | (i) बैंक के पास मीयादी जमा/ बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र  | 541    |      |
|        | (ii) बैंक(बैंकों) के पास कोई अन्य जमा खाते में शेष   | 542    |      |
|        | (iii) केंद्र/राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां और केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत बांड   | 543    |      |
|        | (iv) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटें  | 544    |      |
|        | (v) अन्य (कृपया उल्लेख करें . . . . .)   | 545    |      |
| 2.     | निम्नलिखित शेयरों में निवेश  |        |      |
|        | (i) उद्धृत   | 511    |      |
|        | (ii) अनउद्धृत  | 512    |      |
| 3.     | डिबेंचरों और बांडों में निवेश  | 515    |      |
| 4.     | कंपनियों के डिबेंचरों/ बांडों और शेयरों में निवेश जहां कंपनी के निदेशकों के पर्याप्त हित हैं (कृपया भाग-4 का अनुदेश सं.1 देखें) (संलग्नक सं. . . . . में ब्योरे हैं) | 520    |      |
| 5.     | कुल (541 से 545 + 511 + 512 + 515 + 520)   | 500    |      |

**अनुदेश**

1. निवेश खाते में अथवा स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में धारित शेयर, डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र के ब्योरे इस भाग में शामिल किए जाएं।
2. अन्य कंपनियों के पास मीयादी जमा को यहां शामिल न किया जाए किन्तु भाग 4 में दर्शाया जाए।
3. अनउद्धृत डिबेंचरों/ बांडों में निवेश को जमा के रूप में न कि निवेश के रूप में माना जाए।

**भाग - 5(ii)**

**उद्धृत शेयर/डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र**

| मद सं. | विवरण       | मद कोड | राशि |
|--------|-------------|--------|------|
| 1.     | बही मूल्य   | 551    |      |
| 2.     | बाजार मूल्य | 552    |      |

**भाग - 6**

**किराया खरीद कारोबार**

| मद सं. | किराए पर लिए गए माल का स्वरूप   | मद कोड | खाता सं. | राशि |
|--------|---|--------|----------|------|
| 1.     | ऑटोमोबाइल   |        |          |      |
|        | (i) भारी व्यावसायिक वाहन  | 611    |          |      |
|        | (ii) दुपहिए सहित हल्के व्यावसायिक वाहन  | 612    |          |      |
|        | (iii) अन्य  | 613    |          |      |
| 2.     | कुल (611 + 612 + 613)   | 610    |          |      |
| 3.     | घरेलू टिकाऊ वस्तुएं   | 621    |          |      |
| 4.     | डाटा प्रोसेसिंग /ऑफिस ऑटोमेशन इक्विपमेंट  | 622    |          |      |
| 5.     | कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, बुलडोजर आदि)  | 623    |          |      |
| 6.     | उद्योग में उपयोग किए जानेवाले औद्योगिक मशीनरी<br>अथवा औजार अथवा उपकरण   | 624    |          |      |
| 7.     | अन्य सभी  | 625    |          |      |
| 8.     | कुल (610+621 से 625)  | 600    |          |      |
| 9.     | उपर्युक्त 8 का, निम्नलिखित से प्राप्य-<br>सहायक संस्थाएं/ उसी समूह की कंपनियां/ कंपनियां, फर्म<br>और स्वामित्व प्रतिष्ठान जहां कंपनी के निदेशकों की पर्याप्त<br>हितधारिता है। | 691    |          |      |



**भाग -7**

**उपकरण पट्टे पर देने का कारोबार**

| मद सं. | पट्टे पर दिए जानेवाले उपकरण का स्वरूप  | मद कोड | सकल पट्टाकृत परि-संपत्तियां | संचयित मूल्यांस +/- पट्टा समायोजन खाता | निवल पट्टाकृत परिसंपत्तियां + प्राप्य राशि जो प्राप्त नहीं हुई हैं |
|--------|--|--------|-----------------------------|--|--|
| 1.     | संयंत्र और मशीनरी  | 701    |                             |  |  |
| 2.     | डाटा प्रोसेसिंग/ कार्यालय उपकरण  | 702    |                             |  |  |
| 3.     | वाहन   | 703    |                             |  |  |
| 4.     | अन्य   | 704    |                             |  |  |
| 5.     | <b>कुल (701+702+703+704)</b>   | 700    |                             |  |  |
| 6.     | उपर्युक्त 5 का, निम्नलिखित से प्राप्य संस्थाएं/ उसी समूह की कंपनियां/ कंपनियां, फर्म और स्वामित्व प्रतिष्ठान जहां कंपनी के निदेशकों के पर्याप्त हित हैं/ निदेशक रुचि रखते हैं। | 791    |                             |  |  |

**भाग - 8**

**बिलों का कारोबार**

| मद सं. | विवरण  | मद कोड     | राशि |
|--------|--|------------|------|
| 1.     | खरीदे/ भुनाए गए बिल, जहां आहरणकर्ता, आहरिती और पृष्ठांकनकर्ता निम्नलिखित हैं<br>(i) कंपनी की सहयोगी संस्थाएं   | 801        |      |
|        | (ii) उसी समूह की कंपनियां  | 802        |      |
|        | (iii) कंपनी या फर्म जिसमें कंपनी के किसी निदेशक की पर्याप्त हितधारिता है अथवा उसके द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान | 803        |      |
| 2.     | उपर्युक्त 1 से इतर खरीदे/ भुनाए गए बिल   | 820        |      |
| 3.     | <b>कुल (801 + 802 + 803 + 820)</b>   | <b>800</b> |      |

**भाग - 9**

**अन्य मीयादी परिसंपत्तियों के विवरण**

| मद सं. | विवरण   | मद कोड | राशि |
|--------|---|--------|------|
| 1.     | मीयादी परिसंपत्तियां  | 901    |      |
|        | (i) निजी उपयोग के लिए भूमि और भवन                                 |        |      |
|        | (ii) भूमि और भवन - अन्य   | 902    |      |
|        | (iii) फर्नीचर और फिक्सचर  | 903    |      |
|        | (iv) वाहन   | 904    |      |
| 2.     | अमूर्त परिसंपत्तियों को छोड़कर अन्य परिसंपत्तियां                 | 905    |      |
| 3.     | अन्य परिसंपत्तियों का जोड़ (901+902+903+904+905)                  | 910    |      |
| 4.     | कुल परिसंपत्तियां [अमूर्त को छोड़कर]<br>(400+500+600+700+800+910) | 900    |      |

भाग - 10

31 मार्च 200-- को समाप्त वर्ष के लिए कारोबार संबंधी आंकड़े/ सूचना

| मद सं. | विवरण   | मद कोड | राशि |
|--------|---|--------|------|
| 1      | I. संवितरण (निधि आधारित क्रियाकलाप)<br>उपकरण पट्टे पर देना:         |        |      |
|        | (क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष                                    | 1001   |      |
|        | (ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण                                       | 1002   |      |
| 2      | किराया खरीद   |        |      |
|        | (क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष                                    | 1003   |      |
|        | (ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण                                       | 1004   |      |
| 3      | ऋण  |        |      |
|        | (क) कॉर्पोरेटों को शेयरों की जमानत पर ऋण                            |        |      |
|        | (i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष                                    | 1005   |      |
|        | (ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण                                      | 1006   |      |
|        | (ख) व्यक्तियों को शेयरों की जमानत पर ऋण                             |        |      |
|        | (i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष                                    | 1007   |      |
|        | (ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण                                      | 1008   |      |
|        | (ग) दलालों को शेयरों की जमानत पर ऋण                                 |        |      |
|        | (i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष                                    | 1009   |      |
|        | (ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण                                      | 1010   |      |
|        | (घ) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के वित्तपोषण के लिए ऋण             |        |      |
|        | (i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष                                    | 1011   |      |
|        | (ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण                                      | 1012   |      |
|        | (ङ) अंतर कॉर्पोरेट ऋण/ जमाराशियां                                   |        |      |
|        | (i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष                                    | 1013   |      |
|        | (ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण                                      | 1014   |      |
|        | (च) अन्य  | 1015   |      |
| 4.     | खरीदे/ भुनाए गए बिल   |        |      |
|        | (क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष                                    | 1016   |      |
|        | (ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण                                       | 1017   |      |
| 5      | 4 में से पुनर्भुनाए गए बिल  |        |      |
|        | (क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष                                    | 1018   |      |
|        | (ख) वर्ष के दौरान कुल प्रमात्रा                                     | 1019   |      |
|        | II. शेयरों/प्रतिभूतियों में व्यापार (सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर) |        |      |

|    |   |      |  |
|----|---|------|--|
| 6  | शेयरों/ डिबेंचरों/ वाणिज्यिक पत्रों की खरीद/ बिक्री<br>(क) खरीद                 | 1020 |  |
|    | (ख) बिक्री  | 1021 |  |
| 7  | III. शुल्क आधारित कार्यकलाप<br>पूंजी बाजार के परिचालन हेतु जारी की गई गारंटियां |      |  |
|    | (क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष  | 1022 |  |
|    | (ख) वर्ष के दौरान कुल प्रमात्रा   | 1023 |  |
| 8  | अन्य प्रयोजनों के लिए जारी गारंटियाः  |      |  |
|    | (क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष  | 1024 |  |
|    | (ख) वर्ष के दौरान कुल प्रमात्रा   | 1025 |  |
| 9  | वर्ष के दौरान सिंडिकेटेड पट्टा/ किराया खरीद                                     | 1026 |  |
| 10 | वर्ष के दौरान सिंडिकेटेड ऋण/ अंतर कंपनी जमाराशियां                              | 1027 |  |
| 11 | वर्ष के दौरान सिंडिकेटेड बिल  | 1028 |  |
| 12 | हामीदारी  |      |  |
|    | (क) हामीदारी की कुल राशि  | 1029 |  |
|    | (ख) सुपुर्द (डिवॉल्ट) राशि  | 1030 |  |
|    | (ग) बकाया प्रतिबद्धताएं   | 1031 |  |

**भाग - 10(अ)**

**अतिदेय की स्थिति**

| मद सं. | विवरण                               | मद कोड | राशि |
|--------|-------------------------------------|--------|------|
| 1      | 12 महीने से अधिक पट्टा अतिदेय       | 1041   |      |
| 2      | 12 महीने तक पट्टा अतिदेय            | 1042   |      |
| 3      | 12 महीने से अधिक किराया खरीद अतिदेय | 1043   |      |
| 4      | 12 महीने तक किराया खरीद अतिदेय      | 1044   |      |
| 5      | 6 महीने से अधिक अन्य अतिदेय         | 1045   |      |
| 6      | 6 महीने तक अन्य अतिदेय              | 1046   |      |
| 7      | कुल (1041 से 1046)                  | 1040   |      |

**भाग - 11**

**चुनिन्दा आय और व्यय के विवरण  
(नीचे दिए गए अनुदेशों को देखें)**

|    |  |      |  |
|----|--|------|--|
|    | <b>निधि आधारित आय</b>  |      |  |
| 1  | सकल पट्टा आय   | 1101 |  |
| 2  | घटाएं पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यांश +/- पट्टा समकरण       | 1102 |  |
| 3  | निवल पट्टा आय (1101 - 1102)  | 1103 |  |
| 4  | किराया खरीद आय   | 1104 |  |
| 5  | बिल भुनाई आय   | 1105 |  |
| 6  | निवेश आय   |      |  |
|    | (क) लाभांश / ब्याज   | 1106 |  |
|    | (ख) शेयरों/ डिबेंचरों/ वाणिज्यिक पत्रों की बिक्री पर लाभ/ हानि (+/-) | 1107 |  |
| 7  | ब्याज आय   |      |  |
|    | (क) अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशियां/ ऋण                                    | 1108 |  |
|    | (ख) अन्य ऋण और अग्रिम  | 1109 |  |
| 8  | अन्य निधि आधारित आय  | 1110 |  |
| 9  | निधि आधारित कुल आय (1103 से 1110)                                    | 1111 |  |
|    | <b>शुल्क आधारित आय</b>   |      |  |
| 10 | वाणिज्यिक बैंकिंग क्रियाकलापों से आय                                 | 1112 |  |
| 11 | हामीदारी कमीशन   | 1113 |  |
| 12 | बिलों, ऋणों अंतर-कंपनी जमा, पट्टा और किराया खरीद के सिंडिकेशन से आय  | 1114 |  |

|    |  |             |  |
|----|--|-------------|--|
| 13 | विविध आय   | 1115        |  |
| 14 | कुल शुल्क आधारित आय (1112 से 1115)   | 1116        |  |
| 15 | कुल आय (1111 + 1116)   | 1100        |  |
| 16 | <b>ब्याज और अन्य वित्तपोषण लागत</b><br>मीयादी जमाराशियों पर अदा किया गया ब्याज | 1117        |  |
| 17 | अंतर-कंपनी जमा पर अदा किया गया ब्याज   | 1118        |  |
| 18 | दलाली  | 1119        |  |
| 19 | दलालों को व्यय की प्रतिपूर्ति  | 1120        |  |
| 20 | वित्तपोषण की अन्य लागत   | 1121        |  |
| 21 | बिल पुनर्भुनाई प्रभार  | 1122        |  |
| 22 | <b>कुल वित्तपोषण लागत (1117 से 1122)</b>                                       | <b>1123</b> |  |
| 23 | परिचालन व्यय<br>कर्मचारी लागत  | 1124        |  |
| 24 | अन्य प्रशासनिक लागत  | 1125        |  |
| 25 | <b>कुल परिचालन लागत (1124 + 1125)</b>  | <b>1140</b> |  |
| 26 | स्वयं की परिसंपत्ति पर मूल्यांश  | 1126        |  |
| 27 | परिशोधित (एमोर्टाइज्ड) अमूर्त परिसंपत्तियां                                    | 1127        |  |
| 28 | निवेशों के मूल्यहास के लिए प्रावधान  | 1128        |  |
| 29 | अनर्जक परिसंपत्तियों पर प्रावधान   | 1129        |  |
| 30 | अन्य प्रावधान, यदि कोई हो  | 1130        |  |
| 31 | <b>कुल व्यय (1123+1140+1126 से 1130)</b>                                       | <b>1150</b> |  |
| 32 | <b>कर पूर्व लाभ (1100 - 1150)</b>  | <b>1160</b> |  |
| 33 | कर   | 1170        |  |
| 34 | <b>करोत्तर लाभ (1160 - 1170)</b>   | <b>1180</b> |  |

### **अनुदेश**

1. इस भाग में ब्योरे पूरे वित्तीय वर्ष के होने चाहिए। यदि कंपनी 31 मार्च से इतर किसी अन्य तारीख को अपनी बहियां बंद करती है तो बहियों की बंदी की तारीख और अवधि बताई जाए।
2. 'सकल पट्टा आय' में पट्टा कारोबार (किए गए/ अंतिम रूप दिए गए पट्टा करार के संबंध में परिसंपत्तियों की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान पर ब्याज/ क्षतिपूर्ति सहित) से संबंधित पट्टा किराया (छूट का निवल), पट्टा प्रबंधन शुल्क, पट्टा सेवा प्रभार, अप अपफ्रंट फीस, पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ और विलंबित/ विलंब भुगतान प्रभार शामिल हैं।
3. 'पट्टा समकरण लेखा' का अर्थ वही है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी गाइडेंस नोट ऑन एकाऊंटिंग फॉर लीज (संशोधित) में दिया गया है।

4. 'किराया खरीद आय'में किराया खरीद कारोबार (अभिनिर्धारित किराएदारों के लिए किराया खरीद परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अग्रिम भुगतान पर अर्जित ब्याज सहित) से संबंधित वित्त प्रभार (छूट का निवल) किराया सेवा प्रभार विलंबित/ विलंब भुगतान प्रभार, अप्रॉंट फीस औ अन्य आय शामिल हैं।

## प्रमाणपत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार्यता (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998\* (समय-समय पर यथासंशोधित) विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977\* का, जैसा मामला हो, अनुपालन किया जा रहा है।
2. इसके अलावा प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में दिए गए ब्योरे/ सूचना का सत्यापन किया गया है और सभी प्रकार से उसे सत्य और पूर्ण पाया गया है।

(\* जो लागू न हो उसे काट दें)

प्रबंधक/ प्रबंध निदेशक /

प्राधिकृत पदाधिकारी के

हस्ताक्षर

तारीख

स्थान



## लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

इस विवरणी में प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में \_\_\_\_\_ कंपनी लिमि. द्वारा रखी गई लेखा बहियों और अन्य रिकार्ड की हमने जांच की है तथा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और रिकार्ड में दर्शाई गई सूचना के अनुसार जिसकी हमने जांच की है इस विवरणी में दिए गए आंकड़े सही हैं।

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

सनदी लेखाकारों के नाम

-----

## विवरणी के संलग्नक

1. निम्नलिखित दस्तावेज यदि वे अब तक नहीं भेजे गए हैं तो विवरणी के साथ प्रस्तुत करें। कृपया संलग्न दस्तावेजों के लिए मद के सामने बाक्स में टिक लगाएं तथा अन्य मामलों में प्रस्तुति की तारीख बताएं।
  - (i) विवरणी की तारीख के निकटतम तारीख लेखा-परीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखे की एक प्रति।
  - (ii) नमूना हस्ताक्षर कार्ड।
  - (iii) 2 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी.118/ डीजी(एसपीटी)-98 के पैरा 4(12) अथवा 20 जून, 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/ डीजी (एच)-77 के पैरा 6 में उल्लिखित आवेदन पत्र की एक प्रति।
2. प्रधान अधिकारियों की सूची और निदेशकों के नाम और पते संलग्न फार्म में इस विवरणी के साथ भेजे जाने चाहिए।

**भाग - 12**

----- लि. के प्रधान अधिकारियों और निदेशकों की सूची

प्रधान अधिकारी

| क्रम सं. | नाम | पदनाम | पता और टेलीफोन सं. | यदि कंपनी/ कंपनियों में निदेशक हैं तो कंपनी/ कंपनियों के नाम |
|----------|-----|-------|--------------------|--|
|          |     |       |                    |  |
|          |     |       |                    |  |
|          |     |       |                    |  |
|          |     |       |                    |  |
|          |     |       |                    |  |

II. निदेशक

| क्रम सं. | नाम | पाता | निदेशक, उसकी पत्नी/ उसके पति और अवयस्क बच्चों की कंपनी के ईक्विटी शेयरों में धारिता का % | अन्य कंपनियों के नाम जहां वे निदेशक हैं |
|----------|-----|------|--|---|
|          |     |      |  |   |
|          |     |      |  |   |
|          |     |      |  |   |
|          |     |      |  |   |
|          |     |      |  |   |

प्रबंधक/ प्रबंध निदेशक/ प्राधिकृत  
पदाधिकारी के हस्ताक्षर

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_